लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल – 462021
दूरभाष - 0755-2600115
www.educationportal.mp.gov.in, www. shikshaportal.mp.gov.in

क्र./ विशेष सेल / **2018-19** / ९२ भोपाल,दिनांक 20/12/2018

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले -
(अलीराजपुर.मंडला.डिंडोरी,अनूपपुर,झाबुआ,बडवानी जिले को छोड़कर)

विषय : अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त किये जाने संबंधी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक)संवर्ग(सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में सुसंगत पदों पर नियुक्त किये जाने संबंधी निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :

१. ऐसे अध्यापक जो कि प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है उनकी जानकारी एजुकेशन पोर्टल के Deputation Management System में दर्ज किये जाने के निर्देश संचालनालय के पत्र क्र.विशेष सेल /2018-19/81 दिनांक 30/11/2018 के द्वारा जारी किये गए थे | आशा है कि सभी जिलों द्वारा उक्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी होगी | प्रतिनियुक्ति की जानकारी दर्ज करने के उपरांत सम्बंधित अध्यापक के नियुक्ति आदेश में मूल संस्था का नाम प्रदर्शित होगा अतः DMS में सही जानकारी दर्ज की गयी हो यह सुनिश्चित किया जाए |

२. जिनका पद नाम अपडेट नहीं हुआ था तथा स्थानांतरित होने से उनकी संस्था अपडेट नहीं थी, ऐसे प्रकरण जिनमे TAMS प्रारंभ होने एवं बंद होने के बीच में सम्बंधित के पे-रोल में जो पदनाम और संस्था का अध्यतनीकरण हुआ था उन्हें ३० नवम्बर की स्थिति में अपडेट कर दिया गया है | सम्बंधित संकुल प्राचार्यों द्वारा उनके यहाँ लंबित प्रकरणों को सत्यापित करने की कार्यवाही तत्काल पूर्ण की जाए |

- इसके अतिरिक्त कुछ बिन्दु जैसे संविलियन दिनांक में त्रुटि होना, प्रथम नियोक्ता का नाम त्रुटिपूर्ण होना, विषय गलत दर्ज होना आदि समस्याएं भी जिलों द्वारा जानकारी में लाई गयी थी उनके निराकरण के लिए पोर्टल पर TAMS अंतर्गत प्रावधान करते हुए "ESB Corrections" विकल्प उपलब्ध कराया गया है , इस आप्शन के माध्यम से ऐसे अध्यापकों की जानकारी जैसे संविलियन दिनांक में त्रुटि होना , प्रथम नियोक्ता का नाम त्रुटिपूर्ण होना, विषय गलत दर्ज होना त्रुटिपूर्ण होने से आदेश जनरेट नहीं हो पा रहे है और उनकी सेवा पुस्तिका संकुल द्वारा सत्यापित कर दी गयी है, उक्त जानकारी में उनके वर्तमान नियोक्ता द्वारा रिकॉर्ड के आधार पर सुधार करने के सम्बन्ध में संचालान्लय के पत्र क्र.88 दिनांक 14/12/2018 के द्वारा निर्देश जारी किये थे | उक्त सुधार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक अध्यापको का, संयुक्त संचालक द्वारा अध्यापकों का और संचालनालय द्वारा वरिष्ठ अध्यापकों की ई-सेवा पुस्तिका में किये जाने का प्रावधान है | अतः ऐसे प्रकरणों में सम्बंधित के सत्यापित अभिलेखों से सम्बंधित नस्ती का अवलोकन कर सुधार की कार्यवाही सम्बंधित के नियुक्त कर्ता अधिकारी के द्वारा तत्काल की जाए |
- उपरोक्त कार्यवाही पश्चात पूर्व प्रक्रिया का पालन करते हुए जिला पात्रता समिति की बैठक आदि की कार्यवाही पूर्ण करते हुए संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापित किये गए प्रकरणों को पोर्टल पर पात्र/अपात्र/ लंबित किये जाने की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्ण की जाए |
- तदुपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर युक्त आदेश जनरेट करने की कार्यवाही दिनांक 31/12/2018 तक अनिवार्यतः पूर्ण की जाए |

(जयश्री कियावत)
आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ.क्रमांक/ विशेष सेल /2018 / 93 भोपाल दिनांक 20/12/2018

प्रतिलिपिः-

- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ
- राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,NIC विंध्यांचल भवन की और सूचनार्थ
- श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक NIC की और भेजकर लेख है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से रोकी गयी समस्त कार्यवाही के लिए पोर्टल को पुनः प्रारंभ करने का कष्ट करें |
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु

20/12/18

आयुक्त,

लोक शिक्षण म.प्र.